न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –210/2018(2018/00405)

अनवान : –

भीमसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. हरीसिंह(मृतक) पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
   1.क. रामप्यारी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह त जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
3. सिलोचना पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
4. सरोज पत्नी जुगलाल जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
5. योगेश प्रकाश पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई शाखा बस स्टेण्ड भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भानुप्रताप बेनीवाल **वादी**
श्री दलबीर बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 19/5/22

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डोभी बारानी खाता सं. 150/97 के मु.न. 61 किला न. 11, मु.न. 62 किला न. 14 ता 19, 21 ता 25, मु.न. 63 किला न. 19 ता 25, मु.न. 64 किला न. 16 मु.न. 72 किला न. 3 ता 05 मु.न. 73 किला न. 1, 2 म.न. 87 किला न. 18, 19,22 ता 25, मु.न. 111 किला न. 2 ता 15, 19 व 20 कुल 10.8410 हैक्टर मय गैरमुमकिन रास्ता 0.0510 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी हरीसिंह के नाम से खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा रतीराम की खातेदारी हुआ करती थी। रतीराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी हरीसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 01 ता 06 का जन्म से हक व अधिकार निहित है।

वादभूमि तन्हा प्रतिवादी प्रताप के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हरीसिंह को वादी के दादा रतीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 व 2 व 4, 5, 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी, तदुपंरात वकील प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश नियम 7 सीपीसी पेश करने व वकील वादी के नो ऑब्जेक्शन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया। प्रतिवादी 02 व 03 की तरफ से इकबाल दावा पेश कर दावा वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने बाबत सहमती जाहिर की है। प्रतिवादी सं. 1 के देहान्त होने पर दावा से नाम डिलिट कर उसके स्थान पर उसकी पत्नी रामप्यारी को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया।

साक्ष्य वादी में वादी भीमसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में नामान्तरण रजि. की प्रमाणित प्रति. दिनांक 18.2.2010 प्रदर्श 1, जमाबन्दी रोही मौजा डोभी बारानी प्रदर्श 2, जमाबंदी दादालाई हेतु संवत 2055 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही रोही मौजा डोभी बारानी खाता सं. 150/97 के मु.न. 61 किला न. 11, मु.न. 62 किला न. 14 ता 19, 21 ता 25, मु.न. 63 किला न. 19 ता 25, मु.न. 64 किला न. 16 मु.न. 72 किला न. 3 ता 25 मु.न. 7 किला न. 1, 2 म.न. 87 किला न. 18, 19,22 ता 25, मु.न. 111 किला न. 2 ता 15, 19 व 20 कुल 10.8410 हैक्टर मय गैरमुमकिन रास्ता 0.0510 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी हरीसिंह के नाम से खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डोभी बारानी खाता सं. 150/97 के मु.न. 61 किला न. 11, मु.न. 62 किला न. 14 ता 19, 21 ता 25, मु.न. 63 किला न. 19 ता 25, मु.न. 64 किला न. 16 मु.न. 72 किला न. 3 ता 5 मु.न. 73 किला न. 1, 2 म.न. 87 किला न. 18, 19,22 ता 25, मु.न. 111 किला न. 2 ता 15, 19 व 20 कुल 10.8410 हैक्टर मय गैरमुमकिन रास्ता 0.0510 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी हरीसिंह के नाम से खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। **उसमें वादी भीमसिंह व प्रतिवादिया सं. 1क रामप्यारी, प्रतिवादी सं. 2 प्रतापसिंह संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि देय हो तो नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....19/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –210/2018(2018/00405)

अनवान : –

भीमसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. हरीसिंह(मृतक) पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
   1.क. रामप्यारी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. प्रतापसिंह पुत्र हरीसिंह त जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
3. सिलोचना पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
4. सरोज पत्नी जुगलाल जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
5. योगेश प्रकाश पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई शाखा बस स्टेण्ड भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री भानुप्रताप बैनीवाल व वकील प्रतिवादी श्री दलबीर बेनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डोभी बारानी खाता सं. 150/97 के मु.न. 61 किला न. 11, मु.न. 62 किला न. 14 ता 19, 21 ता 25, मु.न. 63 किला न. 19 ता 25, मु.न. 64 किला न. 16 मु.न. 72 किला न. 3 ता 5 मु.न. 73 किला न. 1, 2 म.न. 87 किला न. 18, 19,22 ता 25, मु.न. 111 किला न. 2 ता 15, 19 व 20 कुल 10.8410 हैक्टर मय गैरमुमकिन रास्ता 0.0510 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी हरीसिंह के नाम से खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। **उसमें वादी भीमसिंह व प्रतिवादिया सं. 1क रामप्यारी, प्रतिवादी सं. 2 प्रतापसिंह संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि देय हो तो नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/4/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़